

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक एफ2(6358)सूप्रौ/संस्था/14/ 03086/2018
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जयपुर, दिनांक 31/08/2018

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायको को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.सं.	मेरिट नं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	321	अनिल सी के	कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झालावाड़	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018 AND THIRD GRADE TEACHER E EXAM-2018
2	561	अखिलेश कुमार	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, पंचायत समिति-नदवई, भरतपुर	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018, LIBRARIAN GRADE-III COMP. EXAM-2018 AND ACF & FOREST RANGE OFFICER GR-1 EXAM-2018
3	1462	आभा अग्रवाल	कार्यालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर	VICE PRINCIPAL AND GROUP INSTRUCTOR EXAM-2018 AND AE & SUPERVISOR(WOMEN EMPOWERMENT) EXAM-2018
4	1476	अकुर जैन	कार्यालय जिला रोजगार, शाहपुर, जयपुर	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018 AND ACF & FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018
5	1725	चेतन प्रकाश चौधरी	कार्यालय तहसीलदार, रूपनगढ़, अजमेर	ACF & FOREST RANGE OFFICER GR-I EXAM-2018, ASSISTANT STATISTICAL OFFICER EXAM-2018 AND SUB. INSPECTOR COMB. COMP. EXAM-2018
6	2692	आशा शर्मा	कार्यालय राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लि. जयपुर	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018
7	3531	अरविन्द कुमार	कार्यालय सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलेक्ट्रेट, अजमेर	SCHOOL LECTURER COMP. EXAM-2018(RPSC), SECOND GRADE TEACHER EXAM-2018 (RPSC), RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018 AND ASSISTANT STATISTICAL OFFICER EXAM-2018
8	3672	अनुराधा गन्धर्व	कार्यालय खनि. अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर	COMPUTER INSTRUCTOR(COPA) EXAM-2018
9	3693	अर्जुन सिंह	कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सिराही	LIBRARIAN GRADE-III COMP. EXAM-2018, SCHOOL SENIOR TEACHER(HINDI) GRADE-II COMP. EXAM-2018 AND SENIOR TEACHER(HINDI) GRADE-II (SANSKRIT EDU. DEPT.) EXAM-2018
10	1590	अंकिता जैन	कार्यालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर	COMBINED STATE AND UPPER SUB. SERVICE EXAM-2018(UPSC). GUJARAT ADMINISTRATIVE SERVICES CLASS 1 & 2 SERVICES)EXAM-2018 AND HARYANA ADM. SERVICES(HCS AND OTHER ALLIED SERVICES) EXAM-2018
11	1851	चन्द्रपाल सिंह	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर	PGT- COMPUTER SCIENCE COMP. EXAM-2018(KVS)
12	3041	ओमप्रकाश	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, ब्लॉक-बारां, बारां	SCHOOL LECTURER COMP. EXAM-2018 AND SR. TEACHER GR II COMP. EXAM-2018(RPSC)
13	3656	अशोक कुमार रैगर	कार्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर	RAJASTHAN PRIMARY AND UPPER PRIMARY TEACHER(LEVEL-2) DIRECT RECRUITMENT EXAM-2018
14	996	चन्द्र प्रकाश जैन	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक) सू. प्रौ. और संचार विभाग, ब्लॉक-महवा, दौसा	INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018
15	1148	अमित कुमार जोशी	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, टोंक	INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018

उक्त सूचना सहायकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

P.T.O

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(सुनील भाटी)

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. संबधित कर्मचारी.....
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सू. प्रौ एवं संचार विभाग, जयपुर।
4. संबधित निजी /रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
एवं कार्यालयाध्यक्ष